राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांकः–प.15(88)वित्त/नियम/2017 जयपुर, दिनांकः– 25 MAR 2026

स्पष्टीकरण

राज्य कार्मिकों को संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। संतोषजनक सेवा के लिए एसीपी योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन हेतु विगत 7 वर्षों के एवं एमएसीपी योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन हेतु विगत 9 वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन देखे जाने का प्रावधान है।

एसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन स्वीकृति हेतु विगत 7 वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन (आलोच्य अवधि से पूर्ववर्ती वर्षो यथा 2 वर्ष या 3 वर्ष, जैसी भी स्थिति हो सहित) उपलब्ध नहीं होने की अवस्था में आगामी वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन देखे जाने के संबंध में वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 07.06.2011 एवं 04.11.2016 के बिन्दु संख्या 3 में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

"यदि फिर भी 7 वर्षो के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसे प्रकरणों में जितने वर्षो के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कम हैं उतने आगामी वर्षो के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर 7 वर्षो के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण होने पर ही एसीपी स्वीकार की जा सकेगी।"

इसी प्रकार एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन स्वीकृति हेतु विगत 9 वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (आलोच्य अवधि से पूर्ववर्ती 2 वर्षो सहित) उपलब्ध नहीं होने पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14 की अनुसूची–VI के अंतर्गत बिन्दु संख्या (2)(i)(b) में प्रावधान निम्नानुसार हैः–

(b) Even after that 9 years APAR is not available than remaining APAR may be considered of the next years for grant of MACP.

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार आगामी वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जाने पर, जितने आगामी वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर संतोषजनक सेवा मानी गई, उतने ही वर्षो के लिए एसीपी/एमएसीपी की देयता की अवधि बढाये जाने का प्रावधान स्वतः स्पष्ट है।

इस संबंध में पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी कार्मिक के एसीपी/एमएसीपी स्वीकृति हेतु संतोषजनक सेवा के लिए वांछित 7/9 वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, देयता तिथि से आगामी वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों को सम्मिलित किये जाने पर पूर्ण होते हैं, तो उतने ही वर्षो के लिए एसीपी/एमएसीपी की देयता की अवधि में वृद्धि कर एसीपी/एमएसीपी स्वीकृत की जावेगी।

उदाहरणार्थः–

1. एक कार्मिक जिसकी एसीपी दिनांक 25.06.2014 को देय है तथा उसके आलोच्य अवधि 2007–08 से 2013–14 तक वांछित एपीएआर में से 6 वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ही उपलब्ध हो पाते है तथा वर्ष 2014–15 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को सम्मिलित करते हुये 7 वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण होते है तो उस कार्मिक की एसीपी दिनांक 25.06.2014 के स्थान पर 1 वर्ष पश्चात् दिनांक 25.06.2015 को स्वीकृत की जावेगी।

2. एक कार्मिक जिसकी एमएसीपी दिनांक 25.06.2023 को देय है तथा उसके आलोच्य अवधि 2014–15 से 2022–23 तक वांछित 8 वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ही उपलब्ध हो पाते हैं तथा वर्ष 2023–24 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को सम्मिलित करते हुये 9 वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण होते हैं तो उस कार्मिक की एमएसीपी दिनांक 25.06.2023 के स्थान पर 1 वर्ष पश्चात् दिनांक 25.06.2024 से स्वीकृत की जावेगी।

24/03/26

(राजन विशाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेशंनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर
10. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी।
12. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल)।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

24/3/2026

(हरीश कुमार लालवानी)
संयुक्त शासन सचिव–।